

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1657 / 2007 / उदयपुर

मैसर्स लक्की टिम्बर्स सप्लायर्स,
उदयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.आर.बाकोडिया,
अभिभाषक

.....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20 / 01 / 2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 215/वैट/2006-07 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 02.08.2007 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 05.01.2002 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री सुशील जी जैन उपस्थित मिलें। उनकी उपस्थिति में सर्वेक्षण किया गया। व्यवसाय स्थल पर 3 लूज पेपर पाये गये जिनमें रूपये 1,78,829/- टिम्बर की लकड़ी की बिक्री अंकित थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा श्री जैन से इन 3 लूज पेपर के संबंध में बयान लिये जिनका पूर्ण विवरण बयानों में दर्ज है। इसमें उसके द्वारा यह स्वीकार किया है कि उक्त बिक्री का लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं है। इसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2001-02 का निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2004 को पारित कर, कर रूपये 24,679/- व धारा 25 के तहत शास्ति रूपये 49,356/- कुल मांग रूपये 74,035/- आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) उदयपुर के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.12.2004 से प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर पुनः कर निर्धारण के आदेश दिये। जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण करते हुये मांग कर रूपये 24,679/- व शास्ति रूपये 49,356/- कुल मांग रूपये 74,035/- पुनः कायम कर दी गयी, उक्त

लगातार.....2

आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुये अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 02.08.2007 के विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है।


3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि (1.) नियम 50 की पालना नहीं की गयी है। अतः सर्वेक्षण ही अवैधानिक है। (2.) सर्वेक्षण असम्बन्धित व्यक्ति की उपस्थिति में किया गया है। अतः यह अनुचित होने से आरोपित कर व शास्ति अवैधानिक है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया :-

- (1.) IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR
S.B. Sales Tax Revision No. 77/2007
Assistant Commissioner, Ward-II, Circle-H, Jaipur V/s J.K. & Sons
Judgment date 21-08-2007
- (2.) IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR
S.B. Sales Tax Revision Petition No. 76/2006
M/s Diamond Marketing Agency, Jaipur V/s A.C.T.O, (Anti Evasion-I),
Circle-II, Jaipur
Judgment date 13-09-2007
- (3.) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 1509 / 2006 / भीलवाड़ा वाणिज्यिक
कर अधिकारी, वृत्त-बी, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स ईरोज ज्वेलरी (प्रदर्शनी) हाल
अशोका होटल, भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 09.09.2008

साथ ही कथन किया कि सर्वेक्षण श्री आशीष जैन की उपस्थिति में किया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी ने उसे पार्टनर बताया है जबकि आरसी की कॉपी पेश कर अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वह पार्टनर नहीं था। अतः सर्वेक्षण ही अवैधानिक होने से आरोपित मांग को निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपने जवाबी बहस में कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण श्री आशीष जैन पुत्र श्री सुशील जैन उपस्थित थे जो कि पार्टनर के भाई है तथा वक्त मौके उन्होंने अपने आप को पार्टनर बताया था। चूंकि वह पार्टनर के भाई है तथा व्यवसाय स्थल पर नियमित रूप से व्यवहार लेन देन करते है अतः वे पूर्ण तथा अधिकृत व्यक्ति है। साथ ही लूज पेपरों में उल्लेखित बिक्रियों के सम्बन्ध में पूर्ण बयान दर्ज किये गये थे तथा लेखा पुस्तकों में उनका जमा खर्च नहीं होना श्री जैन ने स्वीकार किया था। अतः नियम 50 की पूर्ण पालना की गयी थी। अतः सर्वेक्षण व आदेश पूर्णतया विधिक है। अतः अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।




6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जो तर्क दिये गये हैं उसमें प्रथम श्री आशीष जैन के पार्टनर नहीं होने से है। प्रस्तुत आरसी की फोटो प्रति के अनुसार श्री अलिन जैन पुत्र श्री सुशील जैन पार्टनर हैं तथा सर्वेक्षण श्री आशीष जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन की उपस्थिति में किया गया था। श्री आशीष जैन इस प्रकार उनके भाई हैं। जो कि व्यवसाय की जानकारी रखते हैं। उनके द्वारा बयान देकर न केवल सर्वेक्षण कराया बल्कि पाये गये लूज पेपरों का मिलान लेखा पुस्तकों से कराकर यह स्वीकार किया कि इन लूज पेपरों में उल्लेखित लकड़ी की बिक्री कीमतन रूपये 1,78,829/- का जमा खर्च बहियात में नहीं है। अतः श्री आशीष जैन पूर्णतया व्यापार से सम्बन्धित व्यक्ति हैं। अतः अपीलार्थी का यह आक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(2) अपीलार्थी द्वारा दूसरा आक्षेप यह लगाया है कि सर्वेक्षण पर दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं। यहां यह तथ्य स्पष्ट है कि व्यवसाय स्थल पर केवल 3 लूज पेपर मिले थे। जिनकी ऑडिट श्री आशीष कुमार जैन की उपस्थिति में मौके पर ही की जाकर बहियात से मिलान किया जाकर तथ्य स्पष्ट कर लिये गये थे। इसमें श्री आशीष जैन की पूर्ण स्वीकारोक्ति ले ली गयी थी। जब सभी तथ्यों को श्री आशीष जैन द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो नियम 50 की पालना स्वतः ही हो जाती है। जब कर चोरी को व्यवहारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो अन्य किसी भी तथ्य पर विचार किया जाना अनुचित है।

अपीलार्थी ने जिन न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया है वे इस प्रकरण के तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया जाकर अपीलार्थी की अपील निरस्त की गयी है वह उचित है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। तथा आरोपित कर रूपये 24,679/- व धारा 25 के तहत शास्ति रूपये 49,356/- कुल मांग रूपये 74,035/- उचित होने से यथावत कायम रखी जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह)
सदस्य